# कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा),उत्तराखण्ड,देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-196/2017-18/

दिनांक : /05/2018

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम – रुद्रपुर
जनपद- ऊधम सहं नगर

वषय : नगर निगम रुद्रपुर, का वर्ष 04/2016 से 03/2017 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रे षत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग II (अ) में शून्य प्रस्तर तथा भाग-II (ब) में 10 प्रस्तर एवं STAN 03 प्रस्तर हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वा र्षक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मि लत कया जाना सम्भा वत है। भाग-2 (अ) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या स चव, शहरी वकास, उत्तराखण्ड शासन एवं भाग-2 (ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अ धकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

सं0: स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-196 दिनांक : /05/2018

प्रति ल प निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत :

1- स चव, शहरी वकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2- निदेशक, शहरी वकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 राजपुर रोड़ निकट साई इंस्टीट्यूट, देहरादून।

3- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आ डट), द् वतीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या **AIR- 196/213** वर्ष **2017-18**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर, जनपद-ऊधम संह द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सतेन्द्र कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री हिमांशु शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री राजवेश भट्ट, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 02/03/2018 से 15/03/2018 तक श्री एस के वर्मा, लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

## भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री एल॰एस॰ लंगवाल, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री नित्यानन्द संह, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री मनोहर संह, लेखापरीक्षक द्वारा श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण मे दिनांक 11/12/2016 से 04/01/2017 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें वर्ष 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः ---

1. उपरोक्त यदि जिला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या : ----

2. उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्या : --

3. भौगो लक क्षेत्र : 805.26 हेक्टेअर

4. जनसंख्या :140844

5. निर्वा चत सदस्यों की संख्या : 20

6. पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या : 01

7. उपस मतियों, स्थायी स मतियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या :02

8. कर्मचारियों की संख्या : 88

9. नगर निगम की संप त्तयाँ:--

10. नगर निगम के अपने प्रोजेक्ट :--

11. योजनाओं की संख्या :

12. (अ) सामाजिक संरक्षा :

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित :

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें :

(द) लाभा र्थयों की संख्या :

13. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया रा श :

14. वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये |

15. क्या वा र्षक योजनाओं एवं बजट पर निर्वा चत निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित कया गया :

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई 'अ' श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(संगठनात्मक ढांचा स चव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रद र्शत कया जाय)

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में नगर निगम रुद्रपुर , जनपद- उधम संह नगर को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन नगर निगम रुद्रपुर , जनपद- उधम संह नगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। ---(जिस योजना का चयन कया गया उसका नाम अं कत कया जाय) का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन ..... . ..... (प्रतिचयन व ध का नाम अं कत कया जाय) के आधार पर कया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 20(1) लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

नगर निगम रुद्रपुर

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | अवशेष | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | स्थापना | | गैर स्थापना | |
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | आ धक्य (+) | बचत (-) | आ धक्य (+) | बचत (-) |
| 2014-15 | 0 | 168092340 | 49002435 | 49002435 | 116654579 | 208684366 | 0 | 0 | 76062553 | 0 |
| 2015-16 | 0 | 76062553 | 51135181 | 51135181 | 121859384 | 89718719 | 0 | 0 | 108203218 | 0 |
| 2016-17 | 0 | 108203218 | 51784828 | 51784828 | 219169037 | 150841330 | 0 | 0 | 176530924 | 0 |

नगर निगम- रुद्रपुर (धनरा श लाख रु मे)

| वर्ष | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
|---|---|---|---|
| प्रारम्भिक शेष | **1680.92** | **760.63** | **1082.02** |
| वर्ष के दौरान प्राप्तियां | | | |
| (क) केन्द्राशं | **208.22** | **202.9** | **1185.08** |
| (ख) राज्यांश | **1205.96** | **1253.15** | **1211.45** |
| (ग) अन्य प्राप्तियां | **242.39** | **273.89** | **313.01** |
| व्यय | **2576.87** | **1408.54** | **2026.26** |
| अंतिम शेष | **760.62** | **1082.02** | **1765.3** |

**(I)** वत्तीय वर्षों **2014-17** के दौरान इकाई के वर्ष के दौरान कुल आय मे निजी स्रोतों से आय का प्रतिशत क्रमशः **15, 16** एवं **12** था, निजी स्रोत से आय मे निरंतर कमी हो रही थी ।

**(ii)** इकाई द्वारा कुल उपलब्ध रा श के क्रमशः **53** प्रतिशत (वर्ष **2016-17)** ही व्यय कए गए ।

नगर निगम- रुद्रपुर (धनरा श लाख रु मे)

| वर्ष | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
|---|---|---|---|
| प्रारम्भिक शेष | **1680.92** | **760.63** | **1082.02** |
| वर्ष के दौरान प्राप्तियां | | | |
| (क) केन्द्राशं | **1205.96** | **1253.15** | **1185.08** |
| (ख) राज्यांश | **208.22** | **202.9** | **1211.45** |
| (ग) अन्य प्राप्तियां | **242.39** | **273.89** | **313.01** |
| व्यय | **2576.87** | **1408.54** | **2026.26** |
| अंतिम शेष | **760.62** | **1082.02** | **1765.3** |

**(I)** वत्तीय वर्षों **2014-17** के दौरान इकाई के वर्ष के दौरान कुल आय मे निजी स्रोतों से आय का प्रतिशत क्रमशः **15, 16** एवं **12** था, निजी स्रोत से आय मे निरंतर कमी हो रही थी ।

**(ii)** इकाई द्वारा कुल उपलब्ध रा श के क्रमशः **53** प्रतिशत (वर्ष **2016-17)** ही व्यय कए गए ।

नगर निगम- रुद्रपुर (धनरा श रु मे)

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष | प्राप्त | योग | व्यय | अन्तिम अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2014-15** | केन्द्रीय वत्त | 0 | 20822000 | 20822000 | 13882000 | 6940000 |
| **2014-15** | सांसद नि ध | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2015-16** | केन्द्रीय वत्त | 6940000 | 20000000 | 26940000 | 0 | 26940000 |
| **2015-16** | स्वच्छ भारत मशन | 0 | 290000 | 290000 | 0 | 290000 |
| **2015-16** | सांसद नि ध | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2016-17** | केन्द्रीय वत्त | 26940000 | 32585000 | 59525000 | 38838400 | 20686600 |
| **2016-17** | स्वच्छ भारत मशन | 290000 | 723040 | 1013040 | 319418 | 693622 |
| **2016-17** | अमृत योजना | 0 | 84900000 | 84900000 | 41824351 | 43075649 |
| **2016-17** | सांसद नि ध | 0 | 299830 | 299830 | 299830 | 0 |

भाग **2(**ब)

प्रस्तर 1:- उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावली**,** 2008 के प्रावधानों के अनुसार निर्माण कार्यो का सम्पादन न कराया जाना तथा त्रुटिपूर्ण आगणन का गठन कया जाना।

उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 12 (2) तथा नियमावली, 2017 के नियम अनुसार रु 25.00 लाख तक के कार्यो के संबंध मे यह सुनिश्चित करने के लए, क न्यूनतम तीन नि वदाएँ प्राप्त हो, प्रश्नगत सामग्री के लए नि वदा दस्तावेज़, पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की सूची से तीन से अ धक फर्मो को सीधे स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत डाक/ कोरियर से भेजे जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त सी मत नि वदा के लए वेबसाइट द्वारा भी प्रचार कया जाना चाहिए। नियम 12 (3) के अनुसार यह सुनिश्चित कया जाना चाहिए क प्रतिस्पर्धा के आधार पर अ धक अनु क्रयाशील नि वदा प्राप्त करने के लए यथा संभव अ धकतम अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओ को चन्हित कया जाना चाहिए। वज्ञापन द्वारा नि वदा पृछा के संबंध मे नियम 13 (1) तथा नियमावली 2017 के नियम 10 मे प्रावधानित है क रु 25 लाख तथा उससे अ धक क अनुमानित लागत की सामग्री की अ धप्राप्ति के लए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रो मे वज्ञापन द्वारा नि वदा आमंत्रित की जाय। रु 25 लाख से कम कीमत की सामग्री की अ धप्राप्ति, व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्र और वशेष मामले मे व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय समाचार पत्र मे वज्ञापन के माध्यम से की जाए।

नगर निगम के निर्माण कार्य संबंधी चयनित पत्राव लयो (सूची के अनुसार) की जांच मे देखा गया क वत्तीय वर्ष 2016-17 मे संपादित निर्माण कार्यो, जिनकी लागत रु 5 लाख से 28 लाख तक थी, के आवंटन प्राप्त तीन - तीन नि वदाओ के आधार पर कए गए थे। आवंटन वभागीय दरो से नीचे 0 -1.50 प्रतिशत पर कए[1] गए थे। स्पष्ट था क कार्यो के आवंटन मे अ धप्राप्ति नियमावली के अनुक्रम मे अ धक प्रतियोगी दरे प्राप्त नहीं की गयी थी।

कार्य के आवंटन कए जाने के उपरांत निम्न मुख्य शर्तो के अधीन ठेकेदार के साथ अनुबंध पत्र गठित कया गया था:

---

[1] कार्य के आवंटन की स्थिति: वभागीय दर से 0.25 प्रतिशत कम पर : 34 कार्य, 0.25 - 0.50 प्रतिशत कम पर : 19 कार्य , 0.50 - 0.75 प्रतिशत कम पर : 04 कार्य , 0.75 - 1.00 प्रतिशत कम पर : 06 कार्य ,1.50 प्रतिशत से अ धक कम पर : 03 कार्य तथा आगणन दर पर : 06 कार्य

(i) ठेकेदार की नि वदा रा श उत्तराखंड अ धप्राप्ति स मति द्वारा स्वीकृत है, कार्य को दिये गए आकार तथा प्रकार मे पूरा करेगा,

(ii ) ठेकेदार कार्य को समय के अंदर पूरा नहीं करता है तो उसके वरुद्ध लोक निर्माण वभाग के नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी तथा 01 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से वसूली की जाएगी,

(iii ) कार्य समाप्ति के एक वर्ष तक ठेकेदार की डफ़ेक्ट लैबि लटी होगी,

चयनित कार्यो की पत्राव लयों मे कार्यो के आवंटन, क्रयान्वयन स्तर पर निम्न त्रुटियाँ पायी गयी।

- कार्य के आवंटन हेतु उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप अ धक अनु क्रयाशील दरे प्राप्त करने हेतु प्रयास नहीं कए गए थे। कार्य का आवंटन सी मत रूप से तीन प्राप्त नि वदाओ के आधार पर कया गया था,
- कार्य के गठित आगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अ धकारी द्वारा नहीं ली गयी थी, जिसके कारण कार्य के तकनीकी गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी,
- कार्य के प्रारम्भ कए जाने से पूर्व कार्य स्थल के फोटोग्राफ, कार्य के क्रयान्वयन के दौरान फोटोग्राफ तथा कार्य के सम्पादन के उपरांत के फोटोग्राफ पत्रावली मे उपलब्ध नहीं थे,
- कार्यो के ले - आउट स्वीकृत आगणन मे संलग्न नहीं थे, जिससे उससे क्रयान्वयन संबंधी मानदंडो को सुनिश्चित कया जा सके,
- कार्यो मे प्रयुक्त सामग्री की जांच संबंधी प्रतिवेदन पत्रवली मे संलग्न नहीं थे,
- वार्ड 17 मे डॉक्टर कॉलोनी गली संख्या 02 प्रभात प्रेस वालों के आवास से दीपमाला हॉस्पिटल तक सी सी रोड निर्माण आगणन (रु 29.35 लाख) एवं वर्ड संख्या 17 मे पी ए सी के आवास के सामने सी सी रोड निर्माण मे “dismantling of cement concrete pavements by mechanical means using pneumatic tools” क्रमशः जिसकी मात्रा 286.5 cum एवं दर रु 1760.10 थी तथा 157.50 cum एवं दर रु

1760.10 थी के dismantling से होने वाली आय को आगणन मे समायोजित नहीं कया गया था,

- निर्माण से संबन्धित कार्य पंजी का रखरखाव नहीं कया जा रहा था, जिससे कार्य की भौतिक एवं वत्तीय प्रगति का अनुमान नहीं लगाया जा सका,
- वार्ड संख्या 9 ट्रेनिंग सेंटर होम साइंस कॉलोनी मे सी सी रोड निर्माण पत्रावली की जांच मे देखा गया क ठेकेदार द्वारा प्रार्थना पत्र दिये बिना ही कनिष्ठ अ भयंता द्वारा वचलन क संभावना व्यक्त करते हुए नगर आयुक्त को टिप्पणी प्रस्तुत की गयी थी, इससे स्पष्ट था क निर्माण मे ठेकेदार को लाभ दिये जाने के उद्देश्य से इस प्रकार की टिप्पणी की गयी थी।

स्पष्ट था क इकाई द्वारा निर्माण कार्यो के आवंटन, क्रयान्वयन मे अ धप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कया गया था तथा कार्य के क्रयान्वयन मे गुणवत्ता सुनिश्चित कए जाने हेतु ठोस उपाय नहीं कए गए थे।

लेखापरीक्षा (मार्च 2018) मे इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया नियमानुसार नि वदा आमंत्रित की गयी थी तथा तकनीकी स्वीकृति नियुक्त तकनीकी अ धकारी द्वारा ली गयी थी। सामग्री की जांच करने के उपरांत ही भुगतान कया जाएगा। वार्ड 17 मे डॉक्टर कॉलोनी गली संख्या 02 प्रभात प्रेस वालों के आवास से दीपमाला हॉस्पिटल तक सी सी रोड निर्माण मे तोड़ी गयी सामाग्री का उपयोग नहीं कया गया था।

उत्तर मान्य नहीं था क्यों क कार्य का आवंटन प्रतियोगी दरे न लेकर वभागीय दरो से मात्र 0-1.50 प्रतिशत नीचे पर सम्पन्न कराये गए थे, कार्य के सम्पादन के उपरांत सामग्री की जांच कराया जाना संभव नहीं होगा। वार्ड 17 मे डॉक्टर कॉलोनी गली संख्या 02 प्रभात प्रेस वालों के आवास से दीपमाला हॉस्पिटल तक सी सी रोड निर्माण मे dismantling से होने वाली आय को आगणन मे समायोजित नहीं कया जाना त्रुटिपूर्ण आगणन गठन का द्योतक था।

तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 2:- नगर निगम द्वारा फेरी नीति लागू कए जाने संबंधी कार्यवाही में रु 5.29 लाख का निष्फल व्यय |

उत्तराखंड शासन द्वारा सृजित उत्तराखंड नगरीय फेरी व्यवसायी (आजी वका सुरक्षा तथा फेरी व्यवसाय वनियमन) नियमावली 2014 [2] के अनुसार :

- प्रत्येक नगर निकाय में फेरी क्षेत्रो, स्थानो अथवा बाज़ारो का चंहांकन तथा सीमांकन नगर फेरी स मति द्वारा कया जाएगा (4 क )
- नगर फेरी स मति द्वारा नगर मे वद्यमान समस्त फेरी व्यवसायियों का डजिटलाइज्ड फोटो सर्वेक्षण नियमावली लागू होने के एक माह के मध्य पूर्ण कर उन्हे सूचीबद्ध कया जाएगा (5 (1 ))
- नगर फेरी स मति की माह मे न्यूनतम एक बैठक आयोजित की जाएगी ( 13 (1))
- नगर फेरी स मति की संस्तुति पर स्थानीय निकाय कसी भी क्षेत्र अथवा इसके भाग को जनहित मे नो वें डंग जोन घो षत कर सकता है तथा इन क्षेत्र के फेरी व्यवसायियों को वें डंग जोन / राज्य मे संचा लत कल्याणकारी योजनाओ के द्वारा वस्था पत कर सकता है। ( 20 (1))

इकाई की लेखापरीक्षा (मार्च 2018) मे देखा गया क निगम को निदेशक, राज्य वकास अ भकरण (सूडा) द्वारा रु 20.50 लाख की धनरा श प्रे षत की गयी थी (नवम्बर 2014) , इस रा श मे से रु 5.00 लाख के व्यय से फेरी व्यवसायियों के सर्वेक्षण, उन्हे पहचान पत्र जारी करने, योजना तैयार करने सम्बन्धी कार्य कए जाने थे। नगर फेरी स मति का गठन कर कार्य प्रारम्भ कया गया तथा मे॰ युग एसो सयेट्स, लखनऊ (m/s yug associates ) को फेरी व्यवसायियों के सर्वेक्षण, उन्हे पहचान पत्र जारी करने, योजना तैयार करने हेतु चयनित कया गया था (अप्रैल, 2015), लेखा परीक्षा (मार्च 2018) तक फर्म द्वारा कुल 3625 फेरी व्यवसायियों का सर्वेक्षण कया गया था तथा अन्य कार्य लंबित थे,

[2] शहरी वकास अनुभाग -2 की अ धसूचना संख्या 1614 /IV (2 ) श व -2014 /246 (सा ) 04 - टी सी 1 देहारादून : दिनांक 17 अक्तूबर , 2014

इसके लए फर्म को रु 5.29 लाख का भुगतान कया जा चुका था (जुलाई 2015)। फेरी व्यवसायियों के सर्वेक्षण से पूर्व अपे क्षत वें डंग जोन निर्धारित कए जाने हेतु भू म की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गयी थी और बिना भू म के निर्धारण के ही दो वर्ष पूर्व सर्वेक्षण पर कया गया व्यय रु 5.29 लाख निष्फल था।

लेखा परीक्षा मे इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो को स्वीकार करते हुए बताया गया क उत्तराखंड शासन की अ धसूचना (ओक्टूबर 2014 ) मे यह नहीं बताया गया था क फेरी नीति के क्रयान्वयन से पूर्व भू म का चयन कया जाना था, जानकारी के अभाव मे यथा समय पर भू म का चयन नहीं कया जा सका। निगम द्वारा भू म के चयन का कार्य कया जा रहा है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्यो क भू म के चयन के बिना वें डंग जोन की स्थापना संबंधी कार्य को कया जाना संभव नहीं है तथा बिना भू म के चयन के सर्वेक्षण संबंधी कार्य औ चत्यहीन था, जिस पर कया गया व्यय रु 5.29 लाख निष्फल था।

तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 3:- वत्तीय वर्ष 2016-17 मे कर / कराया / तहबाजारी आदि की वसूली का कम रहना।

नगर निगम, रुद्रपुर के कर वभाग से संबन्धित मांग एवं वसूली से संबन्धित दस्तावेजो / पत्रवा लयों की जांच मे देखा गया क व भन्न करों / शुल्कों के ववरणो के अनुसार बकाया एवं वसूली का ववरण निम्न था:

*(रा श रु लाख मे)*

| क्र.सं. | मद का नाम | 31.03.2017 तक का अवशेष | वर्तमान मांग (वत्तीय वर्ष 2017-18) | कुल योग | कुल वसूली (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | गृहकर | 25.00 | 95.00 | 120.00 | 42.89 |
| 2. | शो टैक्स | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.00 |
| 3. | कराया | 11.88 | 16.25 | 28.13 | 25.94 |
| 4. | लीजमनी | 0.32 | 0.50 | 0.82 | 0.00 |
| 5. | वज्ञापन | 0.00 | 34.30 | 34.30 | 5.00 |
| 6. | तहबाजारी | 0.00 | 27.28 | 27.28 | 24.32 |
| 7. | पा र्कंग शुल्क | 0.00 | 44.28 | 44.28 | 41.65 |
| 8. | स्लाटर हाउस | 0.00 | 8.33 | 8.33 | 3.54 |
| 9. | लाइसेन्स ठेला/रिक्शा | 0.00 | 15.11 | 15.11 | 14.33 |
| 10. | अन्य | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 41.41 |
| योग: | | 38.32 | 286.05 | 324.37 | 199.08 (61) |

उक्त से स्पष्ट था, क निगम के कुल बकाए के सापेक्ष वसूली का प्रतिशत 61 था, जो निगम के प्रभावी राजस्व संकलन का द्योतक नहीं था।

लेखा परीक्षा (मार्च 2018) मे इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो को स्वीकार करते हुए बताया गया क कर्मचारियो की कमी के कारण वसूली का प्रतिशत कम है।

इस संबंध मे इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यो क कर वभाग के मुख्य पदो पर स्वीकृति के सापेक्ष का र्मक तैनात[3] थे।

निगम द्वारा स्वयं के राजस्व की वृद्ध हेतु प्रभावी प्रयास न कए जाने का तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

[3] कर अधीक्षक: स्वीकृत 02 तैनात 01, कर निरीक्षक : स्वीकृत 04 तैनात 03

भाग 2(ब)

प्रस्तर **4**:- इकाई द्वारा जल संयोजन के बिलों का भुगतान/निस्तारण न करने के कारण इकाई क देनदारी मे रु 904788/- क वृद्ध होना ।

कसी भी इकाई को देनदारियों का समय पर भुगतान कया जाना आवश्यक है जिससे देनदारियों उत्तरोतर वृद्ध से बचा जा सकें।

इकाई के जल संयोजन बिलों से संबन्धित पत्रवा लयों की जांच मे पाया गया क उत्तराखंड जल संस्थान, रुद्रपुर के द्वारा नगर निगम रुद्रपुर को माह 01/2018 से 03/2018 तक की अव ध हेतु निम्न ल खत बिल प्रे षत कए गए थे :-

| क.सं. | जल संयोजन स्थल | बिल डमांड संख्या | बिल ति थ | बिल धनरा श |
|---|---|---|---|---|
| 01 | नगर पा लका रुद्रपुर | 2435/272 | 05.03.2018 | 2031.00 |
| 02 | अ धशासी अ धकारी आवास | 2487/295 | 05.03.2018 | 2031.00 |
| 03 | कार्यालय परिसर | 53 | 05.03.2018 | 9700.00 |
| 04 | नगर पा लका सब्जी मंडी | 52 | 05.03.2018 | 873138.00 |
| 05 | संजय मल्क बार, रुद्रपुर | 51 | 05.03.2018 | 31650.00 |
| | | | योग | **918550.00** |

इन बिलों मे से प्रथम तीन बिलों का भुगतान इकाई द्वारा निय मत रूप से कया जा रहा है परंतु क्रम संख्या 04 एवं 05 पर उल्ले खत बिलों का भुगतान इकाई द्वारा नहीं कया जा रहा है। जिससे इन बिलों के प्रति देनदारी बढ़ती जा रही है तथा साथ ही वलंब शुल्क की रा श भी उत्तरोत्तर बदती जा रही है।

इसके अतिरिक्त पत्रावली मे संलग्न दिनांक 30/03/2015 की टिप्पणी मे क्रमांक 2(अ धशासी अ धकारी आवास) मे कार्यालय स्था पत हो जाने के कारण जल संयोजन वच्छेद करने तथा क्रमांक 1 व 3 कार्यालय से संबन्धित होने के कारण दोनों मे से एक जल संयोजन रखना प्रस्ता वत था जिससे उच्च धकारी भी सहमत थे तथा क्रम संख्या 4 हेतु जांच कर आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया था । परंतु पत्रवा लयों मे जल संयोजन वच्छेदन एवं क्रम संख्या 04 के संबंध मे आगे कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी । इस प्रकार न तो क्रम संख्या 01 से 03 के स्थान पर कार्यालय के लए एकल जल संयोजन कया गया न ही क्रम संख्या 04 व 05 के बिलों का भुगतान कया गया । क्रम संख्या 04 व 05 के बिलों को निस्तारित करने हेतु कए गए कसी प्रयास की जानकारी भी पत्रावली मे नहीं थी । इस प्रकार जहां एक और क्रम संख्या 01 से 03 को एकल जल संयोजन मे न बदलने से इकाई को अतिरिक्त भुगतान करना पढ़ रहा था वहीं क्रम संख्या 04 व 05 के बिलों का भुगतान अथवा निस्तारण के लए कोई कार्यवाही इकाई द्वारा नहीं की गयी जिससे इकाई पर देनदारी अनवरत बढ़ती जा रही थी जो वलम्ब शुल्क सहित रु 904788/- हो चुकी है ।

इस और इं गत कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया क दायित्वों क निस्तारण हेतु कार्यवाही की जाएगी

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 5:- निर्माण कार्यो के गठित आगणनों पर सक्षम तकनीकी अ धकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति न लया जाना ।

प्रमुख स चव, उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 562/xxvii (7)/ 2010 दिनांक: 24 मई 2010 द्वारा " वत्तीय अ धकारों का प्रतिनिधायन- (2010)" को निर्गत कया गया था, इसके अंतर्गत ठेके एवं टेंडर के संबंध मे निम्न रूप मे प्रावधान कए गए थे।

| अ धकार का प्रकार | कसके द्वारा प्रयोग कया जाएगा | परिसीमाए | अभ्युक्ति | पूर्व अ धकार |
|---|---|---|---|---|
| छोटे निर्माण कार्यो के निष्पादन तथा सभी प्रकार के मरम्मतों के लए टेंडर/ ठेके स्वीकृत करना | प्रशासकीय वभाग | पूर्ण अ धकार | वत्तीय संग्रह खंड - 5 भाग -1 के पैरा 264 बजट उपलब्धता एवं उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावली - 2008 के अधीन | |
| | वभागाध्यक्ष | आय व्ययक प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक मामले मे रु 5 लाख तक | | आय व्ययक प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक मामले मे रु 50 हज़ार तक |
| | कार्यालयाध्यक्ष | आय व्ययक प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक मामले मे रु 1.00 लाख तक कन्तु शर्त यह है क अनुमान वभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कर दिये गए हो | | आय व्ययक प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक मामले मे रु 25 हज़ार तक कन्तु शर्त यह है क अनुमान वभागाध्यक्षो द्वारा स्वीकृत कर दिये गए हो। |

नगर निगम द्वारा वत्तीय वर्ष 2016-17 मे संपादित निर्माण कार्यो[4] की चयनित पत्राव लयों की जांच मे देखा गया क निर्माण कार्यो के गठित आगणनों पर तकनीकी स्वीकृति सहायक अ भयंता, नगर निगम द्वारा प्रदत्त थी। स्पष्ट था क कार्यो के आगणन की सक्षम तकनीकी अ धकारी द्वारा स्वीकृति लए बिना ही कार्य संपादित कराये गए थे तथा दी गयी स्वीकृति बिना ति थ के थी।

लेखापरीक्षा मे इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया क नगर निगम स्वायत्तशासी संस्था है, अ भयंत्रण वभाग मे योजना स्वीकृति अ धशासी/सहायक अ भयंता जो नियुक्त कए गए हो, के द्वारा तकनीकी स्वीकृति दी जाती है, कार्य स्वीकृति के अ धकार बोर्ड मे निहित है। उत्तर मान्य नहीं है क्यों क निर्माण कार्यो की तकनीकी स्वीकृति देने संबंधी वत्तीय सीमा का कोई निर्धारण इकाई स्तर पर नहीं कया गया था, सक्षम अ धकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति न दिये जाने से स्थायी परिसंप त्त के निर्माण की गुणवत्ता के अधोमानक होने की संभावना से इंकार नहीं कया जा सकता।

तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

---

[4] (i ) कार्य लागत 0-5 लाख तक: शून्य, (ii) 5-10 लाख : 24 कार्य, (iii) 10-15 लाख : 05 कार्य , (iv) 15-20 लाख : 05 कार्य तथा (v) 20 लाख से अ धक के कार्य : 16, कुल कार्य 50।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 6:- रु 73.78 लाख की लागत से संपादित सामुदायिक भवन के निर्माण कार्यो के त्रुटिपूर्ण आगणन पर कार्य का क्रयान्वयन कराया जाना ।

नगर निगम द्वारा वत्तीय वर्ष 2016-17 मे संपादित निर्माण कार्यो के चयनित पत्राव लयों की जांच मे देखा गया क इकाई द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण के निम्न कार्य कराये गए थे।

(रु लाख मे )

| क्रम संख्या | कार्य का नाम | कार्य की लागत |
|---|---|---|
| 1. | वार्ड संख्या 9 सोनिया होटल के सामने सामुदायिक भवन का निर्माण | 22.20 |
| 2. | वार्ड संख्या 1 मे मुखर्जी नगर मे जन मलन केंद्र का निर्माण | 28.44 |
| 3. | वार्ड संख्या 8 संत कबीर पार्क मे जन मलन केंद्र का निर्माण | 23.14 |
| | कुल लागत | 73.78 |

गठित आगणन के अनुसार निर्माण कार्यो मे मुख्यतः निम्न कार्य प्रस्ता वत थे:

| कार्य की मदें | कार्य के नाम | | | |
|---|---|---|---|---|
| | संत कबीर नगर पार्क मे जन मलन केंद्र | | मुखर्जी नगर मे जन मलन केंद्र | सोनिया होटल के सामने सामुदायिक भवन |
| Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete 1:1.5:3 | Qty in cum @ Rs 6648.25 per | 40.46 | 28.83 | 27.35 |
| | Amount (Rs in lakh) | 2.69 | 1.92 | 1.82 |
| Reinforced cement concrete work in walls | Qty in cum @ Rs 7548.99 per | 72.10 | 60.99 | 31.31 |
| | Amount (Rs in lakh) | 5.44 | 4.60 | 2.36 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Reinforced for RCC work including cutting, bending, placing in position and binding all complete | Qty in quintal @ Rs 7266.95 | 132.54 | 105.76 | 69.07 |
| | Amount (Rs in lakh) | 9.63 | 7.69 | 5.02 |
| Centering and shuttering including ropping etc, | Qty in sqm @ Rs 354.44 per | 519.68 | 391.50 | 282.24 |
| | Amount (Rs in lakh) | 1.84 | 1.39 | 1.00 |

उक्त से स्पष्ट था क कार्य की व शष्टियों की प्रमुख मदों की प्रस्ता वत मात्रा मे भन्नता थी, जो इस बात का द्योतक था क कार्य के आगणन के गठन मे स्थलीय सर्वेक्षण नहीं कया गया था। आगे देखा गया क निर्माण मे centering and shuttering के प्रस्ता वत कार्यो से कार्य की कुल लागत संबंधी अनुपात[5] मे साम्य नहीं था, जिससे स्पष्ट था क गठित आगणन त्रुटिपूर्ण था। कार्य की लागत मे अनुपात 1:1.3:1 था जब क centering and shuttering के कुल प्रस्ता वत कार्य मे अनुपात 9 : 6 : 5 का था। इसी प्रकार आर सी सी कार्य मे कार्य की लागत अनुपात 1:1.3:1 के सापेक्ष 4:3:2 का अनुपात था, कार्य के डज़ाइन / ले आउट आगणन मे उपलब्ध न होने के कारण निर्माण संबंधी उक्त व शष्टियों की पुष्टि लेखा परीक्षा मे नहीं की जा सकी। स्पष्ट था क आर सी सी कार्य तथा centering and shuttering के अनुपात भन्न थे, जो त्रुटि पूर्ण आगणन का द्योतक था। मुखर्जी नगर मे जन मलन केंद्र के स्थलीय निरीक्षण मे पाया गया क कार्य स्थल नजुल भू म थी, निर्माण के संबंध मे डजाइन नहीं बनाई गयी थी, वद्युत एवं जल संयोजन के बिना ही दीवार पर प्लास्टर कार्य कराया जा

5

| कार्य का नाम | Centering and shuttering | Cost of the work (Rs in lakh) |
|---|---|---|
| संत कबीर नगर पार्क मे जन मलन केंद्र | 20.16+158.40+519.68+327.25= 1025.49 | 23.14 |
| मुखर्जी नगर मे जन मलन केंद्र | 13.44+105.60+391.50+207.11= 717.65 | 28.44 |
| सोनिया होटल के सामने सामुदायिक भवन | 13.44+105.60+282.24+119.68= 520.96 | 22.20 |

रहा था। शौचालय का निर्माण प्रस्ता वत नहीं था। इन तथ्यो के इं गत कए जाने पर वहाँ पर उपस्थित ठेकेदार प्रतिनि ध द्वारा तथ्यो को स्वीकार करते हुए बताया गया क इस संबंध मे कार्यवाही की जाएगी। स्पष्ट था क बिना कसी नियोजन के कार्य सम्पन्न कराया जा रहा था। संबन्धित पत्राव लयों के अवलोकन मे कार्य मे प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता जांच संबंधी प्रतिवेदन नहीं पाये गए।

जून 2017 मे ठेकेदार के साथ अनुबंध गठित कए जाने के 06 माह की अव ध (निर्माण कार्य पूर्ण करने की समय सीमा) के व्यतीत हो जाने के उपरांत भी कार्य पूर्ण नहीं कए जा सके थे।

इस प्रकार रु 73.78 लाख की लागत से प्रस्ता वत 03 जन मलन केंद्र / सामुदायिक केन्द्रो का निर्माण त्रुटिपूर्ण गठित आगणन के आधार पर कराया जा रहा था, कार्यो के ले आउट नहीं तैयार कए गए थे, जिससे इस बात की पुष्टि की जा सके क कार्य स्थल पर क्या निर्माण कया जाना था। गुणवत्ता सुनिश्चित कए जाने हेतु कार्य मे प्रयुक्त निर्माण सामग्री की जांच नहीं कराई जा रही थी।

लेखापरीक्षा (मार्च 2018) मे इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया क नगर निगम स्वायत्तशासी संस्था है, अ भयंत्रण वभाग मे योजना स्वीकृति नियुक्त अ धशासी / सहायक अ भयंता द्वारा दी जाती है, कार्य क व शस्तियों मे भन्नता के संबंध मे इकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया तथा बताया गया क कार्य के शीघ्र पूर्ण कर लए जाने की संभावना है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है, क्यों क निर्माण कार्यों मे व शष्टियों की प्रमुख मदों की प्रस्ता वत मात्रा मे भन्नता थी, जो इस बात का द्योतक था क कार्य के आगणन के गठन मे स्थलीय सर्वेक्षण नहीं कया गया था, निर्माण मे centering and shuttering के प्रस्ता वत कार्यो से कार्य की कुल लागत संबंधी अनुपात मे साम्य नहीं था जो त्रुटिपूर्ण आगणन गठित कए जाने की स्वतः पुष्टि करता है।

तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग **II**-'ब'</u>

प्रस्तर *7*:- इकाई द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की लागत में **1%** उपकर **(**लेबर सेस**)** का प्रावधान न  कया जाना तथा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से `**1,42,786/-** के लेबर सेस की कटौती करके राजकोष में जमा न कराया जाना ।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त  वनियमन) अ धनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के प्रभावी  क्रयान्वयन के सम्बंध में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनां कत 13 अगस्त 2014 के अनुसार,  व भन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्र मकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा दो अ धनियम - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त  वनियमन) अ धनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के अन्तर्गत अ धनिय मत  कए गए हैं, जिनमें निर्माण श्र मकों के पंजीयन के उपरान्त उन्हें  व भन्न हितकारी योजनाओं यथा-पेंशन, दुर्घटना मुआवजा, मृत्यु उपरान्त सहायता,  च कत्सा सहायता, बच्चों की  शक्षा हेतु आ र्थक सहायता, मातृत्व हितलाभ, पुत्री के  ववाह हेतु आ र्थक सहायता, टूल  कट के रूप में सहायता आदि द्वारा लाभान्वित  कये जाने हेतु प्रावधान निहित  कये गये हैं | उक्त अ धनियम में पंजीकृत श्र मकों की कल्याणकारी योजनाओं के  लए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अ धष्ठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य की लागत का **1%** उपकर के रूप में कल्याण बोर्ड की नि ध में जमा  कए जाने का प्रावधान निहित है |

इसी दृष्टि से शासन के श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग द्वारा अ धसूचना संख्या : 474(2)/VIII/12-35(श्रम)/2011 दिनांक 17.05.2012 जारी करते हुए नगर निगमों के मुख्य नगर अ धकारियों को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवं संग्रहण अ धकारी के रूप में नियुक्त  कया गया है | सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबन्धित निर्माण कार्यों की दशा में उपकर का भुगतान ऐसे कार्यों के बिलों से कटौती करके  कए जाने का प्रावधान है | इस संबंध में निर्माण कार्य की लागत का 1% उपकर का भी प्रावधान निर्माण कार्यों के बजट में  कए जाने की आवश्यकता है |

नगर निगम, रुद्रपुर, जनपद - उधम संह नगर के चयनित निर्माण कार्यों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (मार्च, 2018) में पाया गया क इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के आगणनों में **1%** उपकर **(**लेबर सेस**)** का प्रावधान नहीं कया गया था | चयनित निर्माण कार्यों की जाँच में आगे पाया गया क इकाई द्वारा संलग्नक के अनुसार **17** निर्माण कार्यों के सापेक्ष `**1,42,78,584/-** की धनरा श का भुगतान कया गया (सूची संलग्न) | इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों से **1%** उपकर **(**लेबर सेस**)** के रूप में `**1,42,786/-** की धनरा श की कटौती करके संम्बन्धित लेखा शीर्ष (023000106000000) में जमा कराई जानी चाहिए थी परन्तु इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों के सापेक्ष कए गए भुगतानों में से उपकर **(**लेबर सेस**)** की कटौती करके राजकोष में जमा नहीं कराई गई |

इसे इं गत कए जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया क शासनादेशों की जानकारी के अभाव में उक्त कार्यों पर 1% लेबर सेस नहीं काटा जा सका | इकाई ने आगे बताया क लेबर सेस की धनरा श `**1,42,786/-** को संबन्धित ठेकेदारों से वसूलने के बाद राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्यों क उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनां कत 13 अगस्त 2014 को शासन द्वारा समस्त मुख्य नगर अ धकारियों को प्रे षत कया गया था | उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में इकाई द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के आगणनों में **1%** उपकर **(**लेबर सेस**)** का प्रावधान कया जाना चाहिए था तथा निर्माण कार्यों के बिलों से भुगतान के समय **1%** उपकर **(**लेबर सेस**)** की कटौती करके राजकोष में जमा कराई जानी चाहिए थी |

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

नगर निगम रुद्रपुर द्वारा वत्तीय वर्ष **2016-17** के दौरान एवं लेखापरीक्षा द्वारा चयनित निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से लेबर सैस की कटौती न कए जाने का ववरण

| क्रम संख्या | कार्य का नाम | बिल के भुगतान की धनरा श | लेबर सेस की कटौती | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | जो की जानी थी @ 1% | जो की गयी थी | अंतर |
| 01 | वार्ड नं॰ 1 आजाद नगर मे राजकुमार के घर से हरदारी लाल और शेर संह के घर तक सीसी टाइल्स रोड व नाली का निर्माण कार्य | 735958 | 7359.58 | 0 | 7359.58 |
| 02 | वार्ड नं॰ 7 रमपुरा मे हरप्रसाद के घर से रूपंम के घर तक नाले के ऊपर आरसीसी स्लेब व सीसी रोड का निर्माण कार्य | 575685 | 5756.85 | 0 | 5756.85 |
| 03 | इंद्रा कालोनी वार्ड नं 15 गली नं 2 मे संतोषी माता मंदिर के सामुदायिक भवन मे टाइल्स व रंगाई पुताई का कार्य | 645367 | 6453.67 | 0 | 6453.67 |
| 04 | वार्ड नं॰ 13 मे बलबीर संह के मकान से चमन लाल जगदीश कुमार के मकान (काशीपुर बाइपास रोड) तक साइड पटरी का निर्माण | 557578 | 5575.78 | 0 | 5575.78 |
| 05 | वार्ड नं॰ 13 मे हिन्द टायर स र्वस के सामने (नजदीक पु लस चौकी) डीडी चौक के पास साइड पटरी का निर्माण कार्य | 766439 | 7664.39 | 0 | 7664.39 |
| 06 | वार्ड नं॰ 18 रवीन्द्र नगर मे शीतला माता मंदिर के पास जन मलन केंद्र का निर्माण कार्य | 610505 | 6105.05 | 0 | 6105.05 |
| 07 | वार्ड नं॰ 16 मे हराधन दास के घर से शनि मंदिर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 899354 | 8993.54 | 0 | 8993.54 |
| 08 | वार्ड नं॰ 10 ए शयन फर्नीचर के सामने सीसी टाइल्स रोड का निर्माण कार्य | 612928 | 6129.28 | 0 | 6129.28 |

| क्रम संख्या | कार्य का नाम | बिल के भुगतान की धनरा श | लेबर सेस की कटौती | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | वार्ड नं॰ 20 गायत्री पार्क सीसी टाइल्स पटरी का निर्माण कार्य | 720221 | 7202.21 | 0 | 7202.21 |
| 10 | वार्ड नं॰ 1 आजाद नगर फेज 1 मे खड़क संह के घर से नरेश व मेवा राम के घर तक सीसी टाइल्स रोड व नाली निर्माण कार्य | 526922 | 5269.22 | 0 | 5269.22 |
| 11 | वार्ड नं॰ 15 इन्दिरा नगर कालोनी गली नाम. 5 मे गुरुद्वारा फर्श का निर्माण कार्य | 1043843 | 10438.43 | 0 | 10438.43 |
| 12 | वार्ड नं॰ 10 मे पोस्ट ऑ फस के पास सीसी टाइल्स रोड का निर्माण कार्य | 1055250 | 10552.5 | 0 | 10552.5 |
| 13 | वार्ड नं॰ 18 मे छठ घाट हेतु टीन शेड एवम साइड पटरी का निर्माण कार्य | 1898255 | 18982.55 | 0 | 18982.55 |
| 14 | वार्ड नं॰ 2 ठाकुर नगर मे रजीत वश्वास के घर से कार्तिक वश्वास के घर तक सीसी टाइल्स रोड व नाली निर्माण कार्य | 569327 | 5693.27 | 0 | 5693.27 |
| 15 | वार्ड न. 17 मे मेवा राम के घर से अशोक के घर तक सीसी टाइल्स रोड व नाली का निर्माण कार्य | 298672 | 2986.72 | 0 | 2986.72 |
| 16 | अमृत योजना अंतर्गत वार्ड नं. 1 ट्रां सट कैंप सी ब्लॉक के पार्क का सौंद्रियकरण | 1781036 | 17810.36 | 0 | 17810.36 |
| 17 | वार्ड नं॰-09, ट्रेनिंग सेंटर होम साइन्स कॉलोनी मे सीसी टाइल्स रोड का निर्माण कार्य | 981244 | 9812.44 | 0 | 9812.44 |
| | योग | **14278584** | **142785.84** | **0** | **142785.8** |

## भाग **2(ब)**

प्रस्तर 8:- धनरा श रु 15.82 लाख के कराए की वसूली का लंबित रहना एवं दुकान कराए की दरों का पुनरीक्षण न कया जाना ।

दुकाने कसी भी निकाय की महत्वपूर्ण संप त्त होती हैं । जिनसे प्राप्त होने वाला कराया उस निकाय/निगम की आय का मुख्य स्रोत होता है । इस हेतु कराए की वसूली निय मत रूप से कया जाना अति आवश्यक होता है, ता क प्राप्त धनरा श का उपयोग अन्य सम्प त्तयों के निर्माण एवं वकास कार्यों पर कया जा सके ।

नगर निगम रुद्रपुर की दुकानों से संबन्धित अ भलेखों की नमूना लेखा परीक्षा (मार्च 2018) मे पाया गया क वर्ष 2016-17 के अंत तक व भन्न क्षेत्रों मे स्थित इकाई की दुकानों से निम्न ववरणानुसार कराया वसूली लंबित थी :- (धनरा श रु मे)

| क्र.सं. | क्षेत्र जहां दुकाने स्थित हैं | दुकानों की संख्या | वगत वर्षों की अवशेष धनरा श | वर्ष **2016-17** की मांगे | कुल वसूली हेतु रा श | वसूल की गयी धनरा श | बकाया धनरा श |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रंस होटल | 47 | 141161 | 435598 | 576759 | 297742 | 279017 |
| 2 | काशीपुर रोड | 60 | 212865 | 441026 | 653891 | 470780 | 183111 |
| 3 | गल्ला मंडी | 12 | 27900 | 142764 | 170664 | 122684 | 47980 |
| 4 | काशीपुर बाईपास रोड | 24 | 295435 | 217114 | 512549 | 116557 | 395992 |
| 5 | सब्जी मंडी | 98 | 125667 | 210446 | 336113 | 194096 | 142017 |
| 6 | गुरु नानक स्कूल के सामने | 17 | 75522 | 171768 | 247290 | 77344 | 169946 |
| 7 | सरगोटिया | 23 | 75522 | 169480 | 245002 | 127134 | 117868 |
| 8 | काशीपुर रोड खोखे | 34 | 29610 | 14484 | 44094 | 5540 | 38554 |
| 9 | सब्जी मंडी फड़ | 70 | 75703 | 77223 | 152926 | 16390 | 136536 |
| 10 | सब्जी मंडी आढ़त | 22 | 41788 | 60626 | 102414 | 28235 | 74179 |
| | योग | **407** | **1101173** | **1940529** | **3041702** | **1456502** | **1585200** |

उपरोक्त ववरण से स्पष्ट है क इकाई की दुकानों के कराए से कुल वसूली योग्य धनरा श की 52% धनरा श अभी भी वसूली हेतु लंबित पड़ी हुई थी ।

इसके अतिरिक्त इकाई की कुल 407 दुकानों मे से अ धकांश की अनुबंध अव ध वर्ष 2006 तक समाप्त हो चुकी थी तब से लेखापरीक्षा ति थ (मार्च 2018) तक लगभग 12 वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात भी इकाई द्वारा दुकान के कराए की दरों मे यथो चत वृद् ध के उद्देश्य से कोई पुनरीक्षण नहीं कया गया जो निगम की निजी आय स्रोतों की व्रद् ध के प्रति पंगुता को परिल क्षत करता है ।

उपरोक्त तथ्यों को लेखापरीक्षा मे इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा आंकड़ों की पुष्टि करते हुए कहा गया क का र्मकों की कमी के कारण न्यून वसूली हो पायी एवं नोटिस जारी कर कराए की दरों मे पुनरीक्षण के प्रयास कए जा रहे हैं।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्यों क कराए की वसूली निय मत रूप से की जानी चाहिए एवं दुकानों की अनुबंध अव ध समाप्त होने के उपरांत यथाशीघ्र नए अनुबंध कर लेने चाहिए थे ।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है ।

<u>भाग **2(ब)**</u>

प्रस्तर 9:- **इकाई द्वारा शासनादेश के विरुद्ध रु. 733728/- के वाहन का क्रय किया जाना।**

परिवहन अनुभाग-1 के पत्र संख्या 65/IX-1/2013/2015/2011 दिनांक 07 जनवरी 2013 के अनुसार श्रेणी D अन्य अधिकृत अधिकारी/निदेशालयों के अधिकारी/निगम के अधिकारी आदि/समकक्ष के लिए शासकीय वाहनों के मॉडल/मूल्य की अनुमान्यता 06 लाख तक ही है।

इकाई के द्वारा कार्यालय प्रयोग हेतु महिंद्रा बोलर (Bolero Power+ZL Micro Hybrid BS4) के क्रय से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि क्रय किए गए वाहन का मूल्य रु. 733728/- (रु. 732307+रु. 1421) था जो कि शासनादेश का उल्लघंन था।

इस इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेश की जानकारी के अभाव में क्रय कर लिया गया था। भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग **2(ब)**

प्रस्तर 10:- **विभिन्न मदों के ठेकों से सम्बन्धित वसूली रु. 37.99 लाख का लंबित रहना।**

किसी भी स्थानीय निकाय का आय में उसके निजी स्रोतों से होने वाली आय जैसे विज्ञापन के ठेके/तहबाजारी/पार्किंग एवं झील इत्यादि के ठेकों से प्राप्त होने वाली धनराशि का मुख्य योगदान होता है।

इकाई के उक्त ठेकों से संबन्धित अभिलेखों/पंजिका का जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा विभिन्न वर्षों में दिये गए ठेकों की धनराशि में से अभी भी निम्न विवरणानुसार धनराशि की वसूली अवशेष थी।

| क्र.सं. | ठेके का नाम | ठेकेदार का ववरण | ठेके की कुल धनरा श | वसूली की गयी धनरा श | बकाया धनरा श |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | तह बाजारी | श्री सकीउल्ला खाँ पुत्र श्री हसी उल्ला खाँ | 2727786 | 2727786 | - |
| 2 | पा र्कंग | श्री निरोद वरन अ धकारी पुत्र श्री दीन बंधु अ धकारी | 3097927 | 3097927 | - |
| 3 | स्लॉटर हाउस | श्री दुर्गेश गुप्ता पुत्र श्री ब्रह्मानन्द गुप्ता | 833000 | 61 6500 | 31 6500 (आर.सी.जारी दिनांक जुलाई 2017) |
| 4 | रिक्शा लाईसेन्स आदि | श्री दुर्गेश गुप्ता पुत्रा श्री ब्रह्मान्नद गुप्ता | 835000 | 582500 | 252500 |
| 5 | वज्ञापन | मै.मी डया 24*7 | 6860000 | 3530000 | 3330000 |
| | | योग | 14353713 | 10554713 | 3799000 |

उपरोक्त ववरण से स्पष्ट है क उक्त ठेकों से संबन्धित कुल रु. 37.99 लाख की धनरा श वसूली हेतु लंबित थी। आगे जांच में यह देखा गया क निगम के पास निजी स्रोतों से होने वाली आय को शा सत करने वाले स्पष्ट बाईलाज/बोर्ड़ प्रस्ताव उपलब्ध नहीं थे जो निगम के निजी स्रोतों से होने वाली आय के प्रति श थल रवैये को प्रद र्शत करता है।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए कहा क वसूली हेतु नोटिस जारी कए जा रहे है एवं उक्त संद र्भत स्पष्ट बाईलाजी/बोर्ड़ प्रस्ताव तैयार कर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कए जायेगे।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क न तो वसूली हेतु कोई ठोस प्रयास कए ज रहे है और न ही इस संबंध में कोई स्पष्ट बाईलाज/बार्ड़ प्रस्ताव बनाए गए हैं।

तथ्य प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर **1**:- नगर निगम अ धनियम**,** 1959 के प्रावधानों के अनुक्रम मे संप त्त कर आरो पत कए जाने के संबंध मे ।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अ धनियम, 1959 की धारा 172-73 मे संप त्त कर लगाए जाने का प्रावधान कया गया है। धारा 173 (1) मे प्रावधान है क धारा 172 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लए संप त्त कर मे निम्न ल खत कर सम्मि लत होंगे, जो आगे व्यवस्थित उपवादों, परिसीमाओ और शर्तो के अधीन रहते हुए नगर मे भवनो या भू मयो पर लगाए जाएगे-

(क) सामान्य कर, जो यदि ऐसा निर्धारित करे, अनुक्र मत मद (graduated scale) से आरो पत कया जा सकता है,

(ख) जल कर जो उन क्षेत्रो मे लगाया जा सकेगा जहां निगम द्वारा जल की आपूर्ति की जाती हो,

(ग) जल निस्सारण कर (drainage tax) जो उन क्षेत्रो मे लगाया जा सकेगा जहां निगम ने नालों (sewer) की प्रणाली की व्यवस्था की हो,

(घ) ऐसे क्षेत्रो में स्वच्छता कर (conservancy tax) जहां निगम निस्तारण करने का कार्य करती है।

(2) इस अ धनियम या इसके अधीन बनाई गयी नियमावली मे स्पष्ट रूप से की अन्य व्यवस्था को छोड़कर ये कर यथास्थिति भवन या भू म के वा र्षक मूल्य (annual value) पर लगाए जाएगे।

उक्त प्रावधान के अंतर्गत नगर निगम सीमांतर्गत आवासीय एवं व्यावसायिक भवनो पर संप त्त कर स्वकर निर्धारण प्र क्रया के तहत लगाया जाना निर्धारित कया गया था, संबन्धित अ भलेखो की जांच मे देखा गया क:

- निगम द्वारा स्वकर निर्धारण प्र क्रया के तहत फरवरी 2018 तक आवासीय भवनो के 15206 वतरित फार्मो के सापेक्ष 1942 से तथा व्यावसायिक / अनावासीय 2759 वतरित फार्मो के सापेक्ष 254 भवनो से कर की वसूली की गयी थी, जो क कुल वतरित फार्मो के सापेक्ष मात्र 12 प्रतिशत था।
- इकाई द्वारा मांग तथा वसूली के संबंध मे पंजी का रखरखाव नहीं कया जा रहा था।
- आवासीय तथा अनावासीय भवनो के संबंध मे सर्वेक्षण कार्य गतिमान था।

इस प्रकार, निकाय संप त्त कर के रूप मे प्राप्त होने वाले स्वयं के राजस्व के एक बड़े हिस्से से वं चत था, तथा वतरित कए गए फार्मो के सापेक्ष भी वसूली का प्रतिशत काफी कम था।

लेखापरीक्षा (मार्च 2018) मे इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया क नयी प्र क्रया लागू होने की वजह से वसूली कम हुयी है, भवनो के सर्वेक्षण कार्य कए जा रहे है तथा मांग एवं वसूली हेतु पंजी का रखरखाव कया जा रहा है।

तथ्य प्रकाश मे लाया जा रहा है।

प्रस्तर **2**:- नगर निगम द्वारा अमृत योजना अंतर्गत निर्माण कार्यो के सम्पादन मे नियमो का पालन न कया जाना।

नगर निगम द्वारा अमृत[6] योजना अंतर्गत संपादित कराये गए निम्न कार्यो की जांच की गयी:

- वार्ड नंबर एक ट्रांज़िट कैंप सी- ब्लॉक मे पार्क के सौंदर्यीकरण हेतु नि वदा आमंत्रित कर (सतम्बर 2016) वभागीय दरो से 0.20 प्रतिशत कम पर कार्य आवंटित कर ठेकेदार के साथ अनुबंध गठित कया गया था (अक्टूबर 2016), अनुबंध के अनुसार कार्य को पूर्ण करने की समय सीमा छः माह थी।
- वार्ड नंबर सात मे एकराम आर्य पार्क के सौंदर्यीकरण हेतु रु 36.15 लाख का आवंटन प्राप्त था, जिसमे रु 28.46 लाख से निर्माण कार्य एवं रु 7.69 लाख से झूले इत्यादि लगाए जाने थे। कार्य के आवंटन हेतु नि वदा आमंत्रित कर मेसर्स एम एम कन्स्ट्रकशन को वभागीय दरो से 22.99 प्रतिशत कम पर कार्य का आवंटन कया गया था।

इकाई की लेखापरीक्षा (मार्च 2018) मे देखा गया क ट्रांज़िट कैंप सी- ब्लॉक कार्य मे निर्धारित समय से 11 माह का अ धक समय व्यतीत हो जाने पर भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, इस स्थिति मे उत्तराखंड लोक निर्माण वभाग के GPW- 9 के बिन्दु संख्या 4.5 के अनुसार ठेकेदार से वलंब हेतु क्षतिपूर्ति की वसूली नहीं की गयी थी, जब क वलंब के संबंध में ठेकेदार को मात्र 15 दिन का सीमा वस्तार दिया गया था। ठेकेदार के बिलों से रायल्टी, लेबर- सेस की कटौती भी नहीं की गयी थी। वार्ड नंबर सात मे एकराम आर्य पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य मे नियमानुसार कटौती नहीं की गयी थी।

लेखा परीक्षा मे इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो को स्वीकार करते हुए बताया गया क नियमानुसार कटौती की कार्यवाही की जाएगी ।

तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।



[6] अमृत योजना : Atal mission for Rejuvenation and Urban transformation yojna

प्रस्तर 3:- इकाई द्वारा उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावली का उलंघन करते हुए रु 2.59 लाख के उपकरणो का क्रय ।

उत्तराखंड अ धप्राप्ति (प्रोक्योरमैंट) (संसोधन) नियमावली, 2015 के नियम 09 के अनुसार प्रत्येक अवसर पर रु 50000/-(पचास हज़ार) से अ धक तथा रु 3.00 लाख (रु तीन लाख) तक लागत की सीमा मे क्रय की जाने वाली सामाग्री का क्रय वभागद्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से गठित तीन समु चत स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय स मति की संस्तुतियों पर कया जा सकता है ।

इकाई के द्वारा जून 2017 मे जिला धकारी, उधम संहगनगर द्वारा दिये गए निर्देशों के क्रम में 10 सीसी टीवी कैमरे, 02 डी.वी.आर. व 02 एलईडी लाइटस स्क्रीन की खरीद व लगवाने का कार्य कराया गया। जिसके अ भलेखों क जांच में पाया गया क सीसी टीवी कैमरे व एलईड़ी स्क्रीन लगवाने हेतु कोटेशन तीन फर्मों से प्राप्त कर क्रय कया गया था। मै. भारती सॉफ्ट, रुद्रपुर मै जएमड़ी इण्टरप्राईजेज, हल्दवानी तथा मैं सुपर टैक कम्प्यूटर स र्वस, हल्दवानी में से दो फर्मो (मै भारती सॉफ्ट तथा मै. जेएमड़ी अण्टरप्राईजेज, हल्दावानी) के फोन नंबर (8958798733) समान थे, साथ ही तीनों कम्पनियों की कोटेशन के अनुसार भुगतान एक ही कंपनी मै. भारती सॉफ्ट, रुद्रपुर, के पत्र में कया जाना था। और अंत में मै भारती सॉफ्ट, रुद्रपुर की नि वदा को ही अंतिम मंजूरी भी प्रदान की गयी। इससे यह सद्ध होता है क तीनो कोटेशन एक ही कंपनी द्वारा भरी गयी थी तथा क्रय स मति ने भी उनको ठीक से जांचे बिना स्वीकृत कर दिया जैसा क कोटेशनों पर क्रय स मति के सदस्यों के हस्ताक्षर न होना दर्शाता है। जिससे प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त कए बिना क्रय करने से अ धप्राप्ति नियमावली के मौ लक सद्धान्त पारद र्शता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता का हनन हुआ।

इस प्रकार, उत्तराखण्ड़ अ धप्राप्ति नियमावली, में प्रावधानित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कए बिना तथा क्रय के संबंध में आवश्यक व शष्टियों के निर्धारण के बिना रु. 2.59 लाख की सामग्री का क्रय कया गया।

इसे इं गत कये जाने पर इकाई ने कोई उत्तर नहीं दिया।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान मे लाया जाता है ।

## भाग-V

## आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर, जनपद- उधम संह नगर तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) वाहन की मरम्मत सम्बन्धी पत्रावली

2. सतत् अनिय मतताएः

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

| क्रम संख्या | नाम | अव ध |
|---|---|---|
| 01 | | |
| 02 | | |

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर, जनपद- उधम संह नगर को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकर (स्थानीय निकाय) कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा), कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी
स्थानीय निकाय